



श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय
SHRI LAL BAHADUR SHASTRI NATIONAL SANSKRIT UNIVERSITY
(केन्द्रीय विश्वविद्यालय)

(बी-4 कुतुब सांस्थानिक क्षेत्र, शहीद जीत सिंह मार्ग, कटवारिया सराय, नई दिल्ली-110016)

एफ.1()/एल.बी.एस.एन.एस.यू./2025-26/1086

दिनांक: 10.10.2025
13

कार्यालय आदेश

विश्वविद्यालय के समस्त विभागों तथा अनुभागों को सूचित किया जाता है कि केन्द्रीय सतर्कता आयोग के द्वारा दिनांक 01.08.2025 को जारी किये गए परिपत्र संख्या 925/VCU047 के दिशानिर्देशों के अनुपालन में दिनांक 18 अगस्त से 17 नवम्बर, 2025 (तीन माह) तक निम्नलिखित निवारक सतर्कता उपायों के सम्बन्ध में कार्यवाही सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है :-

- लंबित शिकायतों का निपटान (Disposal of pending complaints)
- लंबित मामलों का निपटान (Disposal of pending cases)
- क्षमता निर्माण कार्यक्रम (Capacity building programs)
- परिसंपत्ति प्रबंधन (Asset management)
- डिजिटल इनिशिएटिव (Digital Initiatives)

तदनुसार, सभी विभागों/ अनुभागों से अनुरोध है कि कार्यालय आदेश के साथ संलग्न प्रारूप (अनुलग्नक-1) भर कर अनुभाग अधिकारी सामान्य प्रशासन को दिनांक 10.11.2025 तक आवश्यक रूप से जमा करवा दें, ताकि मुख्य सतर्कता अधिकारी (CVO) द्वारा यह जानकारी समयानुसार केन्द्रीय सतर्कता आयोग (CVC) को भेजी जा सके।

यह कार्यालय-आदेश सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से जारी किया जा रहा है।

[Signature]
10/10/2025
मुख्य सतर्कता अधिकारी

प्रतिलिपि:

1. मुख्य सतर्कता अधिकारी (CVO) को इस आशय से प्रेषित कि उक्त जानकारी ई-मेल (coordl-cvc@nic.in) के माध्यम से CVC को 30.11.2025 तक भेजने का कष्ट करें।
2. निदेशक IQAC/कुलानुशासक/ छात्रावास अधिष्ठाता/ जनसंपर्क अधिकारी
3. उपकुलसचिव (लेखा/ परीक्षा)
4. संगणक प्रमुख को निम्नलिखित आशय से प्रेषित:-
 - उक्त सूचना को विश्वविद्यालय वेबसाइट पर प्रदर्शित कर, उक्त सूचना को Whatsapp तथा SMS के माध्यम से सूचित करने के लिए अधिनस्त कर्मचारियों को निर्देशित करें।
- ओ.एस.डी. (कुलपति)
5. अभियांत्रिकी विभाग/ संगणक केन्द्र/ परीक्षा विभाग/ शैक्षणिक विभाग/ महिला अध्ययन केन्द्र/ छात्र कल्याण संकाय प्रमुख/ खेल प्रभारी/ प्रशासन - 1 एवं 2/ सामान्य प्रशासन
6. निजी सचिव - कुलपति/ कुलसचिव/ विताधिकारी/ परीक्षा नियंत्रक/ पुस्तकालय अध्यक्ष
7. सम्बन्धित पंजिका

आज्ञा 2025 मार्गदर्शक
श. Sachin
12/10/25

[Signature]
10/10/2025
मुख्य सतर्कता अधिकारी

निम्नलिखित निवारक सतर्कता उपायों को विभागों/ अनुभागों द्वारा किया जाना है:-

क्रम	क्रियाकलाप	विवरण
1	लंबित शिकायतों का निपटान (Disposal of pending complaints)	
2	लंबित मामलों का निपटान (Disposal of pending cases)	
3	क्षमता निर्माण कार्यक्रम (Capacity building programs)	
4	परिसंपत्ति प्रबंधन (Asset management)	
5	डिजिटल इनिशिएटिव (Digital Initiatives)	